जे.एम. टंडन जे. के समक्ष

रहीम खान-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत का चुनाव आयोग और एक अन्य,-उत्तरदाता।

1980 की सिविल "रिट याचिका संख्या 511

30 मई, 1980

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का 43)-धारा 8-ए, 80-ए और 116-बी-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 190 (4)-उच्च न्यायालय ने एक विधायक के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उसे छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं रखने वाली विधानसभा' के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने वाली अपील में-ऐसा सशर्त आदेश-क्या यह उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के बराबर है-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई-यानी अयोग्यता की छह साल की अवधि-क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने की तारीख से शुरू होनी चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक विधायक जिसका चुनाव अमान्य घोषित किया गया था, सदस्य के रूप में विधान सभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसके परिणामस्वरूप सत्र के दौरान वास्तव में उसमें भाग लिए बिना विधानसभा में भाग ले सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके विपरीत, विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम रोक के माध्यम से ऐसे विधायक को दी गई अनुमति ने उनकी सदस्यता को पुनर्जीवित कर दिया। सदस्यता का इस तरह पुनरुद्धार केवल उनके चुनाव को शून्य घोषित करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक का परिणाम हो सकता है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऐसे विधायक को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की अनुमति देना उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के बराबर है। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 190 (4) के तहत बुरे परिणामों से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करना उद्देश्यों में से एक हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि विधानसभा की सदस्यता को पुनर्जीवित किया जाता है ताकि वह उस क्षमता में विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सके। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे विधायक के पक्ष में जारी किया गया सशर्त आदेश, जिसमें उसे अपने सदस्य के रूप में विधानसभा के रजिस्टर हस्ताक्षर करने के लिए की अनुमति दी गई थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की खंड 116-बी के संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के बराबर था। इस स्थिति में, छह साल की अयोग्यता की अवधि उस तारीख से प्रभावी होगी जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी अपील को खारिज कर देता है और उस तारीख से प्रभावी नहीं होगी जब उसके चुनाव को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया था। (पैरा 7,10 और 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत दी जा सकती हैः—

(i) सूची संलग्नक पी./1 जहाँ तक याचिकाकर्ता से संबंधित है, एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश के माध्यम से रद्द कर दी जाए।

(ii) यह घोषणा करते हुए एक निर्देश जारी किया जाए कि छह साल की अयोग्यता की अवधि माननीय न्यायालय का निर्णय और आदेश अर्थात 12 मार्च, 1973 से शुरू हुई और 12 मार्च, 1979 को समाप्त हो गई ?

(iii) इस माननीय न्यायालय में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाना मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जा सकता है।

(iv) अनुलग्नक पी/1 की प्रमाणित प्रति दाखिल करना निषेध किया जाए ।

(v) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को सौंपा जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी. एस. मलिक।

प्रतिवादी के लिए यू. डी. गौर, ए. जी. हरियाणा।

निर्णय

जे. एम. टंडन जे.

(1) याचिकाकर्ता चौ. रहीम खान, ने मार्च 1972 में गुड़गांव जिले के नूंह निर्वाचन क्षेत्र से खुर्शीद अहमद और अन्य के खिलाफ विधान सभा का चुनाव लड़ा और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। खुर्शीद अहमद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद अधिनियम) की धारा 80 और 80-ए के तहत एक चुनाव याचिका (1972 का संख्या 7) दायर की और इसे उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च, 1973 को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि याचिकाकर्ता ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया था। याचिकाकर्ता को अधिनियम की खंड 8-ए (पुरानी) के तहत छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 12 मार्च, 1973 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अधिनियम की खंड 116-बी के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और विवादित आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भी आवेदन किया। 4 मई, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की स्थगन याचिका पर एक अंतरिम आदेश पारित किया पर, जिसका संचालन भाग इस प्रकार हैः—

" .....याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को इसके द्वारा हरियाणा विधान सभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है और वह उक्त विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, वह ..उक्त विधानसभा के सदस्य के रूप में किसी भी अपेक्षित भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(2) ....."

उच्चतम न्यायालय ने 8 अगस्त, 1974 को याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। उप-पंजीयक द्वारा जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया हैः—

"उपर्युक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष 10,11,15,16,17,18,19,22, 23,24,25,26,29 अप्रैल, 1974 को अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के वकील की सुनवाई पर सुनवाई के लिए बुलाई जा रही है। यह न्यायालय आदेश देता है: (1).उपर्युक्त अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है; (2) कि इसमें शामिल पक्षकार इस अपील के दौरान अपने-अपने खर्च वहन करेंगे; (3) यह कि इस न्यायालय का आदेश, दिनांक 4 मई, 1973, सिविल विविध मामले 1973 की याचिका संख्या 3751 जिसमें स्थगन प्रदान किया गया था, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यह न्यायालय का अगला आदेश है कि इस आदेश का समय पर पालन किया जाए और सभी संबंधितों द्वारा निष्पादन किया जाए;

साक्षी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री अजीत नाथ रे, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अगस्त 1974 का आठवां दिन ।

(हस्ता.)
उप-पंजीयक"

(2) 31 अगस्त, 1979 को (प्रासंगिक अंश पी. 1) अधिनियम की धारा 8-ए 1 और (11) के तहत अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों की सूची तैयार की गई थी और उसमें याचिकाकर्ता का नाम दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के नाम के खिलाफ अयोग्यता को 8 अगस्त, 1974 से छह साल के रूप में दिखाया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी अयोग्यता को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति /चुनाव आयोग से अनुरोध किया और वैकल्पिक रूप से यह बताया कि उनकी अयोग्यता की अवधि 12 मार्च, 1979 को समाप्त माना जाना चाहिए, जो 12 मार्च, 1973 से छह साल की समाप्ति पर है।याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था और अधिकारियों द्वारा व्यक्त विचार यह था कि अयोग्यता की अवधि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तारीख, यानी 8 अगस्त, 1974 से शुरू होगी। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि जो उससे संबंधित सूची पी. 1 है इस आधार पर रद्द कर दिया जाए कि उसकी छह साल की अयोग्यता की अवधि 12 मार्च, 1979 को समाप्त हो गई है।

(3) इस रिट को भारत के चुनाव आयोग ने चुनौती दी है। अधीक्षक कानूनी एस. के. मेंदिरत्ता द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में यह कहा गया है कि छह साल की अयोग्यता की अवधि उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, यानी 8 अगस्त, 1974 से शुरू होगी, और उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख, यानी 12 मार्च, 1973 से प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि उच्च

न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील में, उसके संचालन पर 4 मई, 1973 के अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसे 8 अगस्त, 1974 को निरस्त कर दिया गया था, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 4 मई, 1973 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जिसका परिचालन भाग ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, ने उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक नहीं लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित की हैं जो केवल उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को दोहराती हैं। याचिकाकर्ता को अपील विचाराधीनता रहने के दौरान हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के तहत सदन द्वारा उनकी सीट को खाली घोषित किए जाने के बुरे परिणामों से बचाने के लिए दी गई थी। याचिकाकर्ता को हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए दी गई अंतरिम अनुमति का अधिनियम की खंड 116-बी के संदर्भ में उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के संचालन पर रोक का प्रभाव नहीं पड़ा।

(5)अधिनियम की खंड 116-बी उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से संबंधित है और इसमें कहा गया हैः—

"उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोकः—

(1) उच्च न्यायालय द्वारा खंड 98 या खंड 99 के तहत दिए गए आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए उससे अपील करने के लिए अनुमत समय की समाप्ति से पहले

उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया जा सकता है और उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो वह उचित समझे, आदेश के संचालन पर रोक लगा सकता है; लेकिन उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने के बाद रोक के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

(2) जहां खंड 98 या खंड 99 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की गई है, वहां सर्वोच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और ऐसे नियमों और शर्तों पर,

जिनसे वह उचित समझे, अपील किए गए आदेश के संचालन पर रोक लगा सकता है।

(3) जब किसी स्थगन आदेश के संचालन पर, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जाती है, तो आदेश को स्थगन आदेश खंड 107 की उप-खंड (1) के तहत कभी भी प्रभावी नहीं माना जाएगा और रोक स्थगन आदेश की एक प्रति तुरंत उच्च न्यायालय या, यथास्थिति, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग और स्पीकर या अध्यक्ष को, यथास्थिति, संसद के सदन या संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजी जाएगी।"

(6) याचिकाकर्ता की स्थगन याचिका पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई, 1973 को ऊपर पुनः प्रस्तुत आदेश पारित किया। इस आदेश द्वारा या तो स्थगन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, स्थगन याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक का कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था। मैं इस तर्क से प्रभावित नहीं हूं।यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम रोक नहीं दी गई थी, तो उन्हें सदस्य के रूप में हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह मुद्दा श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण और एक अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चर्चा के लिए आया। (1), और यह देखा गयाः—

" ……..यह एक विचित्र विरोधाभास होगा कि एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है और फिर भी उसे सदस्य के रूप में रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। क्या न्यायालय, स्वयं को अपमानित किए बिना और शक्ति हड़पे बिना, किसी गैर-सदस्य को सदन में या यहां तक कि आगंतुक की दीर्घा में बैठने की अनुमति दे सकता है, जब तक कि वह निर्णय पर रोक लगाने के आदेश में अनिवार्य रूप से अयोग्यता के निलंबन को भी नहीं पढ़ता है। ……..विशिष्ट रोक अपीलकर्ता को उसके संचालन के दौरान, एक विधायक के रूप में मतदान और पारिश्रमिक प्राप्त करने सहित बहस में भाग लेने के अधिकार को घटाकर, विधानमंडल के सदस्य की पूर्ण स्थिति बहाल करती है।"

(7) उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक सदस्य के रूप में हरियाणा विधानमंडल के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकता है (और उसके परिणामस्वरूप) सत्र के दौरान केवल एक सदस्य के रूप में विधानसभा में वास्तव में भाग लिए शामिल हो सकता है।

---

(1) ए. आइ. आर . 1975 एस. सी. 1590

यदि उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक को अस्वीकार कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता को सदस्य के रूप में हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और आगे विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।इसके विपरीत, हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम रोक के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई अनुमति ने उनकी सदस्यता को पुनर्जीवित कर दिया। याचिकाकर्ता की सदस्यता का ऐसा पुनरुद्धार केवल उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के संचालन पर रोक का परिणाम हो सकता है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के बराबर है।

(8) याचिकाकर्ता को हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दिए जाने के बाद, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने या उक्त विधानसभा के सदस्य के रूप में भत्ते या आवश्यकताओं का दावा करने से वर्जित कर दिया गया था।उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ये नियम और शर्तें अनावश्यक और निरर्थक होतीं यदि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक को अस्वीकार कर दिया जाता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियम और शर्तों को निर्धारित करके, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम को दोहराया।इस तर्क में शायद ही कोई प्रभाव हो। यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अंतरिम रोक को अस्वीकार कर दिया गया होता तो उच्चतम न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम को दोहराने का कोई अवसर नहीं हो सकता था।उच्चतम न्यायालय ने नियम और शर्तें निर्धारित की क्योंकि याचिकाकर्ता की सदस्यता को पुनर्जीवित किया गया था क्योंकि उसे सदस्य के रूप में विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई थी।

(9) उच्चतम न्यायालय ने 8 अगस्त, 1974 के अपने स्थगन आदेश में 4 मई, 1973 को जारी अंतरिम रोक स्थगन आदेश को विशेष रूप से निरस्त कर दिया।यदि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता की अंतरिम रोक की प्रार्थना को 4 मई, 1973 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो तब कायम रहेगा, जब याचिकाकर्ता की अपील 8 अगस्त, 1974 को खारिज कर दी गई थी, तो इसके

निरस्त का कोई सवाल ही नहीं उठा। यह तथ्य कि 4 मई, 1973 को याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी रोक विशेष रूप से 8 अगस्त, 1974 को निरस्त कर दिया गया था, पुष्टि करता है कि याचिकाकर्ता के स्थगन आदेश को स्वीकार कर लिया गया था और अस्वीकार नहीं किया गया था।

(10)याचिकाकर्ता ने 4 मई, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के अनुसरण में हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सीट को खाली घोषित नहीं किया जा सका।यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 190 (4) के बुरे परिणामों का पालन नहीं किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक सदस्य के रूप में विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे और अन्यथा नहीं।संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के तहत बुरे परिणामों से बचने के लिए 4 मई, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के उद्देश्यों में से एक हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि विधानसभा की उनकी सदस्यता को पुनर्जीवित किया गया था ताकि वे उस क्षमता में विधानसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकें।

(11)उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में 4 मई, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश, हरियाणा विधानसभा के रजिस्टर पर उसके सदस्य के रूप में हस्ताक्षर करने की अनुमति देना अधिनियम की खंड 116-बी के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के बराबर है। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता की छह साल की अयोग्यता की अवधि 8 अगस्त, 1974 से शुरू होगी, जिस तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था, न कि 12 मार्च, 1973 से, जब उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।

(12)नतीजतन, रिट याचिका विफल हो जाती है और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है ।

एस सी के।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा**:**

सोनिया **(**अनुवादक**/**सहायक**)**

जिला एवं सत्र न्यायालय**,**पानीपत